न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

अपील सं.–01/2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2025/129

1. शिवकुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढाढोत कलां, पंचायत समिति बुहाना, वर्तमान सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

अपील विरूद नामान्तकरण स. 375 दिनांक 21–09–2015 ग्राम पंचायत गोठ खसरा नं. 138 रकबा 0.06 है0

–:निर्णयः–

दिनांक :– 21/5/25

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि अपीलान्ट ग्राम गोठ का स्थाई निवासी है जहां पर अपीलान्ट के पिता सुलातन पुत्र मोती उर्फ मामचन्द है। अपीलान्ट के दादा को गांव में मोती व मामचन्द दोनों ही नामों से बुलाते हैं।
2. यह कि अपीलान्ट के पिता सुलातान फौत होने पर जब विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाया उस समय खसरा नं. 138 रकबा 0.06 है0 भूमि जो सुलतान पुत्र मामचन्द हिस्सा 1/10 दर्ज थी उसकी खातेदारी अपीलान्ट व उसके भाई व बहनों के नाम से नामान्तरण संख्या 375 दिनांक 21.09.2015 को दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त खातेदारी में दर्ज सुलतान पुत्र मामचन्द अपीलान्ट का पिता नहीं है।
3. यह कि अपीलान्ट द्वारा इस बाबत कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट के पिता का नाम सुलतान पुत्र मोती उर्फ मामचन्द था तथा इस खातेदारी के खसरा नं. 138 रकबा 0.06 है0 में दर्ज सुलतान पुत्र मामचन्द की वलदीयत तथा अपीलान्ट के पिता व दादा दोनों का एक ही नाम होने से उक्त नामान्तरण संख्या 375 दिनांक 21.09.2015 के जरिये अपीलान्ट व उसकी बहनों व भाई के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई है। जो गलत दर्ज हो गई है। उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट की नहीं है। उक्त सुलतान पुत्र मामचन्द ग्राम गोठ में अन्य व्यक्ति है लेकिन सहवन से अपीलान्ट के पिता व दादा का नाम तथा उनका एक ही नाम सुलतान पुत्र मामचन्द होने से अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज होने से गलत रिकार्ड दर्ज हो गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि अब 15 दिन पूर्व जब अपीलान्ट ने अपनी समस्त भूमि की नकल निकलवाई तब अपीलान्ट को जानकारी हुई कि अपीलान्ट की खातेदारी में नामान्तरण संख्या 375 के जरिये दिनांक 21.09.2015 को खसरा नम्बर 138 रकब 0.06 है0 भूमि गलत रूप से दर्ज हो गई है तब अपीलान्ट ने नामान्तरण की नकल लेकर उक्त अपील पेश की है जो सावधि है अन्दर मियाद है।
5. यह कि रेस्पोंडेन्ट ने भी अपीलान्ट की वलदीयत व खसरा नं. 138 के खातेदार सुलतान पुत्र मामचन्द की वलदीयत एक ही होने से सहवन से अपीलान्ट की खातेदारी में उक्त खसरा नं. 138 की खातेदारी नामान्तरण संख्या 375 के जरिये दर्ज कर दी है जो नामान्तरण निरस्त किया जाकर पुनः उसी सुलतान पुत्र मामचन्द की खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
6. यह कि उक्त नामान्तरण संख्या 375 ग्राम पंचायत ढाढोत कलां द्वारा विरासत दर्ज किया गया है। जो सहवन से अपीलान्ट की वलदीयत व इस खसरा नं. 138 में दर्ज सुलतान पुत्र मामचन्द की एक ही वलदीयत होने से दर्ज किया है गलत दर्ज किया गया इस वहज से उक्त अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
7. यह कि अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
8. यह कि अपील नवीनतम रिकार्ड के साथ पेश है।
9. यह कि अपील के समर्थन में अपीलान्ट का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम गोठ स्थित भूमि ख.न. 138 रकबा 0.06 है0 में दर्ज नामान्तरण संख्या 375 दिनांक 21.09.2015 को निरस्त किया जाकर पुनः पूर्व के खातेदार सुलतान पुत्र मामचन्द की खातेदारी दर्ज किया जावे। श्रीमान तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे कि अपिलान्ट्स के पक्ष मे कानूनी प्रक्रिया के तहत सम्पूर्ण पंजीयन शुल्क भुगतान कर सक्षम अधिकारी श्रीमान उप–पंजीयक बुहाना / सिंघाना द्वारा किये गए नामान्तरण तस्दीक के आधार पर अपिलान्ट्स के हिस्से की कृषि भूमि को अपिलान्ट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा अपीलान्ट्स द्वारा अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा उचित समझे अपिलान्ट्स को दिलवाया जाने की कृपा करें।

अपीलार्थीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज में नकल नामान्तरकरण संख्या 375 दिनांक 21 / 09 / 2015, नकल जमाबंदी सम्वत् 2[illegible] शपथ पत्र पेश किए गए।

अपील दर्ज पंजिका कर रेस्पोंडेन्ट को तलब [illegible] गई। सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया ग[illegible] ग्राम पंचायत को कोई आपति नही है। तथा अनुतोष स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अपीलान्ट के पिता का नाम सुलतान पुत्र मोती उर्फ मामचन्द था तथा इस खातेदारी के खसरा नं. 138 रकबा 0.06 है0 में दर्ज सुलतान पुत्र मामचन्द की वलदीयत तथा अपीलान्ट के पिता व दादा दोनों का एक ही नाम होने से उक्त नामान्तरण संख्या 375 दिनांक 21.09.2015 के जरिये अपीलान्ट व उसकी बहनों व भाई के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई है। जो गलत दर्ज हो गई है। उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट की नहीं है। उक्त सुलतान पुत्र मामचन्द ग्राम गोठ में अन्य व्यक्ति है लेकिन सहवन से अपीलान्ट के पिता व दादा का नाम तथा उनका एक ही नाम सुलतान पुत्र मामचन्द होने से अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज होने से गलत रिकार्ड दर्ज हो गया है। ग्राम पंचायत गोठ ने बिना कोई कारण वर्णित किये ही अपीलान्ट्स के पक्ष में प्रक्रियाधिन इंतकाल स. 375 दिनांक 21.09.2015 को निरस्त/खारिज किया जाकर पुनः पूर्व के खातेदार सुलतान पुत्र मामचन्द की खातेदारी दर्ज किया जावे। । अतः न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर ग्राम गोठ का नामान्तरकरण सं. 375 निर्णय दिनांक 21—09—2015 को निरस्त/खारिज किया जाकर पुनः पूर्व के खातेदार सुलतान पुत्र मामचन्द की खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।। तहसीलदार बुहाना को निर्देशित किया जाता है कि विधिवत् सूनवाई की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण पुनः दर्ज करें।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.13 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested